


Sl. No.	User agency against E.D.S.	E.D.S. Reply
1	Authority letter uploaded in Part I is not matching with the details of the applicant	Authority letter concern to Assistant Engineer site incharge which nominated by the Executive Engineer user agency and already uploaded in Part I.
2	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown on google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the map which scanned copy of GIS software generated geo referenced proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	Geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown on google scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the map which scanned copy of GIS software generated geo referenced proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points is being uploaded again in Part I
3	The digital map of area proposed for CA is provided in google map, which does not serve the purpose. The State Govt may provide/upload GIS software generated revised map in designated place in online Part I.	The digital map of area proposed for CA is provided in google map, which upload GIS software generated revised map in designated place in online Part I.
4	NPV calculation as per information provided in hard copy is done for taking density 0.4 and dense forest category which is not correct as per the number of trees proposed to be felled. The State Govt may do the necessary correction in this regard and upload the correct density and revised NPV calculation in online web portal.	Related to D.F.O.
5	The FRA certificate uploaded in online Part I is without enclosing district level committee and village level committee meetings proceedings. The State Govt may upload FRA with complete enclosures.	FRA certificate of village level committee meeting proceeding and district committee proceeding is re uploaded in online part-I with all inclosures.
6	The village level committee proceeding for village Lingwana and Bhadarsu is not provided with the FRA certificate provided in hard copy of the proposal. The State Govt may provide VLC proceedings for these two villages also as these villages are mentioned in village wise break up through which the proposed road is passing. The complete document may upload in online Part I, column K alongwith the FRA certificate.	The village level committee proceeding for village Lingwana and Bhadarsu is being provided with the FRA certificate in hard copy of the proposal. The user agency is providing VLC proceedings for these two villages also as these villages are mentioned in village wise break up through which the proposed road is passing. The complete document has been upload in online Part I, column K alongwith the FRA certificate.
7	Employment generation detail may also furnish in online Part I.	Employment generation detail has also furnish in online Part I.
8	The detail of land proposed for muck dumping may also furnish in component wise break up in online Part I.	The detail of land proposed for muck dumping also furnish in component wise break up in online Part I.

अभिशेख पट्टनायक  
अभिशेख पट्टनायक  
अ०ख० लो०न०८० श्रीनगर  
म० कीर्तिनगर



## प्रारूप-1

**Mr. JaggaNath Patwal** son of **Late Sri Pashupati Nath** is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Construction of **Lingwana saoru ranital moltha Motor Road** of the T.D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar (agency name) on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the **Sri Bhagwati Prasad Nautiyal** (head of the Institutions name /designation ).

Signature

  
Name and seal of the  
competent  
Authority

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद ठिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडु रानीताल से मोल्टा मोटर मार्ग के निमोन हेतु (लम्बाई – 4.350 किमी)



78°38'30"E

78°38'0"E

78°37'30"E

30°17'30"N

78°38'0"E

30°17'30"N

78°37'30"E

### Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

क्षेत्राधिकारी  
माधिकाराथ रेज  
(देवधारा)  
नरेन्द्रमगर चन प्रभाग  
नरेन्द्रमगर चन प्रभाग  
नरेन्द्रमगर चन प्रभाग  
नरेन्द्रमगर चन प्रभाग


Executive Engineer  
V.D. D. Srivastava  
M.O. Manager

सहायक अधिकारी –  
अस्थाई खण्ड लो.वि.  
वीनगर-मु. कीर्तिनगर टिं.ग

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद ठिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडु रानीताल से मोल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक तुक्षारोपण स्थल



Scale - 1:3,500



S.no.	Longitude	Latitude
1	78° 38' 22.872" E	30° 17' 37.196" N
2	78° 38' 21.754" E	30° 17' 37.066" N
3	78° 38' 23.974" E	30° 17' 33.613" N
4	78° 38' 27.263" E	30° 17' 34.263" N
5	78° 38' 29.299" E	30° 17' 35.032" N
6	78° 38' 30.220" E	30° 17' 35.411" N
7	78° 38' 32.104" E	30° 17' 37.371" N
8	78° 38' 33.276" E	30° 17' 39.070" N
9	78° 38' 31.870" E	30° 17' 39.563" N
10	78° 38' 29.785" E	30° 17' 40.423" N
11	78° 38' 28.864" E	30° 17' 40.012" N
12	78° 38' 27.784" E	30° 17' 39.418" N
13	78° 38' 26.033" E	30° 17' 38.039" N
14	78° 38' 23.608" E	30° 17' 37.297" N

Legend

सभागीय वनावासक  
बहेलवर वन प्राकृति  
भूदि-की-रेसी

कुम्भ प्रयोगीय वनावासक  
बहेलवर वन प्राकृति  
(हेत्प्रयोगीम) दर्जनाविकारी  
बहेलवर वन प्राकृति रेज  
बीनगर-मुँह कीतिनगर डिंग

GPS Co ordinates  
Ca Land

executive  
Engg.  
P.W.D. Srinagar  
M.R. Mardaga

पठायक अधिकारी  
अस्थाई इंडियन  
विविध विभाग  
शोनगर-मुँह कीतिनगर डिंग

78° 38' 18'' E 78° 38' 21'' E 78° 38' 24'' E 78° 38' 27'' E 78° 38' 30'' E 78° 38' 33'' E 78° 38' 36'' E 78° 38' 39'' E 78° 38' 42'' E 78° 38' 45'' E 78° 38' 48'' E 78° 38' 51'' E

## प्रारूप सं 30

## FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 986 /XXVI/-100 (२०१५-१६)

Dated ..... 28/12/015

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settlelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4875 **hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar for Construction of Lingwana Sauru to Ranital Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of **Lingwana, Sauru, Ranital & Moltha Villages in Devprayag tehsils.**

It is further certified that:

- a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.4875 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(ज्योति नीरज खेरवाल)

( जिलाधिकारी )

( दिल्ली गवर्नर )

Distt. Collector

प्राप्ति 30

35

It is further certified that – Minutes of meeting of Lingwana to saoru, ranital to moltha Motor Road ( 4.350 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4875 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Maletha (s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Jhanau (Jurana) have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य  
ठिहरी गढवाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग  
नरेन्द्रनगर उप प्रभाग  
मुनिकीरेती

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
ठिहरी गढवाल

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर उप प्रभाग  
मूनि.को-रेणी  
मुनिकीरेती

Signature  
(ज्योति नीरज रंग  
जिलाधिकारी  
ठिहरी गढवाल)

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.**

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri **INDUDHAR BAURAS** I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.4875 Hectare** for the construction of **Lingwana Saoruranital Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Devprayag** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Dated - 17/12/16

*Colo*  
**(इन्दुधर बौद्धार्ह)**  
District Collector Cum chairman

**तिहरी गढ़वाल।**  
District Tehri Garhwal  
New Tehri

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौँडू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग' का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

## प्रमाण-पत्र

## उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिषेक के अन्तर्गत लिंगवाणा सौँडू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग (८०७५ आरक्षित वन भूमि, १.४७८ हेक्टर सिविल सोयम भूमि शेखरी— वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल १.४८७५ हेक्टर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक ५/०९/०८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कीर्तिनगर, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की जच्चक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१- श्री कीर्तिनगर	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
२- श्री डी०षीष वर्षेनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
३- श्री विनोद कुमार उम्पाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
४- श्री माती छ-नीता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लिंगवाणा सौँडू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग परियोजना हेतु १.४८७५ हेक्टर वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समझ सखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौँडू रानीताल चोल्हा मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु १.४२७५हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—.....

जनपद .....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, १२८१/२८५१ जनपद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति



तहसील—.....

उप जिलाधिकारी  
जनपद .....

६७

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल  
मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक ०१०९/१४५ उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
जनपद-

१. श्री दीपेंद्र नंदी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी कोर्टिनगर, छिहरी यदवाल
२. श्री डी.पी. वलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
३. श्री रवीन्द्र कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
४. श्रीमती सुनिता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	 बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य विभागीय विं ए०-संचालक (ट्रृ. १०)



परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल  
मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम  
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

देवप्रयाग

खलाखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा सौडू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (00176) आरक्षित वन भूमि, 1.4700 हेतु सिविल सोयम भूमि शूच्य हेतु वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4875 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत झाँग द्वारा दिनांक २६/५/२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

उपरान्त अधिकारी  
संस्था  
संस्था

खण्ड देवप्रयाग (टिहरी)

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



फैटिंग ५ मार्च २०१५  
सहायक अधिकारी  
अस्थान

दिनांक २६/४/२०१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत झनाड़ा.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१-	रामेश्वर प्रसाद लंडोनी	
२-	जयाते प्रसाद	
३-	निलालड लोंगा	
४-	गिरिश्वाल देवी	
५-	इंद्रधन लोंगा	
६-	शंकर मनी लोंगा	
७-	भगवान न लोंगा	
८-	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट	
९-	श्रीभूती संजीता देवी	
१०	मनोरमा देवी	
११	लिला घर	
१२	सुमेता देवी	
१३	विवेक	
१४	कृष्ण दुष्णा देवी	 Krishna
१५	उत्तम हास	
१६	आर्ता देवी	 Arta
१७	राम कामल लोंगा	
१८	मालिकाना लोंगा	
१९	स्त्रीमा भट्ट देवी	
२०	राम शाकरी देवी	
२१	DR. K.R. Shanty	
२२)	सावित्री	
२३	मनोज दुष्णा	
२४	आनंदी देवी	

फोटोप्रिय प्रमाणि,

सहायक अधियन्ता-

अस्थाई खण्डलोगिंवि०

श्रीनगर-मु० कौतनगुर दि० ग०



### प्रपत्र-23

परियोजनां का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौंदूर रानीगंगा औलडा नदी भौटर मार्ग का नव निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम  
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौंदूर रानीगंगा औलडा स्टोर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.0145 हेक्टेएक्टर) आरक्षित वन भूमि, 1.470 हेक्टेएक्टर सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.485 हेक्टेएक्टर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लिंगवाणा द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई । यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है ।

हो/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास आधिकारी  
विकास खण्ड देवप्रयाग

नोट :- यदि किसी अदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो सही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय ।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा ।




प्रपत्र-23.1

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
खिंडवाडा - ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	शुभराज शुभराज-पापत तोहफा	शुभराज
२.	जयपाल छिंदे भट्टरा	जयपाल
३	झोत सिंह किरत	झोत
४	परमेश	परमेश
५	पावता	पावता
६	पर	पर
७	प्रियता	प्रियता
८	पर्वत चंद्राल सिंह	पर्वत
९	प्रियम सिंह	प्रियम
१०	मातवर सिंह	मातवर

ग्राम पंचायत विकास आवादक  
विकास खण्ड देवप्रयाण  
लि. दिहरी घटवाड



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौँडु रानीगाल मौल्डा चक्र मौटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम  
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौँडु रानीगाल मौल्डा चक्र मौटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.0175 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.470 हे0 सिविल सोयम भूमि, शन्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4875 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुजारांच द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
विकास खण्ड देवप्रयाग

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.1

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
पुजारगांव ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	Ankit Bhatt	<u>Ankit</u>
२	विकाश कुमार	<u>Vikash Kumar</u>
३	श्री अमित देवनडे एमल्डे	<u>Shri Amit Devanade</u>
४	प्रभादास	<u>Prabadas</u>
५	मनोज कुमार	<u>Manoj Kumar</u>
६	विनोद कुमार	<u>Vinod Kumar</u>
७	विजय लाल	<u>Vijay Lal</u>
८	जगदीश	<u>Jagadeesh</u>
९	शुक्र	<u>Sukru</u>
१०	भरत लाल	<u>Bharat Lal</u>
११	रघु लिली	<u>Raghoo Lillie</u>
१२	कमल लाल	<u>Kamal Lal</u>
१३	पुजारी विनाला विनाला	<u>Pujari Vinala</u>
	पुजा शैशानी देवी लहमी देवी	<u>Puja</u> <u>Shashani Devi</u> <u>Lahmee Devi</u>
	शोभा नीमा	<u>Shobha</u> <u>Nima</u>
	नवींला देवी	<u>Naveenla Devi</u>
	साती लक्ष्मा	<u>Sati Lakshma</u>
	मृपती लक्ष्मा	<u>Mropati Lakshma</u>
	विवरधामा	<u>Vivardham</u>
	भद्रदेव उमाद	<u>Bhadradev Umad</u>

ग्राम पंचायत विकास आयोजन  
विकास खण्ड देवप्रथा  
किं. टिहरी गढवाल

